ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-2* Issue-1* April- 2017
Anthology : The Research

राजस्थान में महिला अधिकारों का संरक्षण एवं महिला आयोग की भूमिका

राम किशोर उपाध्याय
व्याख्याता
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

भारतीय महिला का सम्पूर्ण जीवन परिवार के प्रति त्याग में निकल जाता है। विवाह पूर्व उस पर अपने पिता एवं भाइयों आदि का नियंत्रण रहता है, तो विवाह पश्चात् उसका पति, बेटे या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। वास्तविकता यह है कि वह जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को अपनी इच्छानुसार करने अथवा अपनी इच्छानुसार कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र नहीं रहती। परिवार के पुरुष सदस्य हमेशा साये की तरह उसके साथ चलते हैं। आधुनिक भारतीय महिला शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ रही है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता को सिद्ध कर रही है ।

यह कहना गलत नहीं होगा कि उसने कई क्षेत्रों में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है, परन्तु इस सबके बावजूद आज भी वह अपने वास्तविक अस्तित्व के लिए भटक रही है। सैद्धांतिक रूप में संवैधानिक दृष्टि से उसके पास समानता का अधिकार है, परन्तु वास्तविकता पूरी तरह इसके विपरीत है क्योंकि शिक्षा एवं रोजगार जैसी चुनौतियों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने के बावजूद आज भी वह अपने अस्तित्व के लिए भटक रही है।

संसार की कोई भी जगह ऐसी प्रतीत नहीं होती जहाँ महिला सुरक्षित हो। यदि वह सुरक्षित होती तो छेड़खानी, बलात्कार, घरेलु हिंसा, दहेज हत्या आदि के मामले समाप्त होगये होते और भारतीय महिला उतना ही सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही होती जितना सम्माननीय जीवन भारतीय पुरुष जीता है।

शोधपत्र राजस्थान की महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं अधिकारों के संरक्षण में महिला आयोग की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है तथा साथ ही यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है की राजस्थान राज्य की सामान्य महिला शोषित है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं उसको आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला आयोग को सक्रिय रहकर प्रयास करने होंगे।

मुख्य शब्द : त्याग, नियंत्रण, पुरुष, शिक्षा एवं रोजगार, आधुनिक, वास्तविक अस्तित्व, छेड़खानी, बलात्कार, घरेलु हिंसा, दहेज हत्या, महिला आयोग।

प्रस्तावना

राजस्थानी संस्कृति विश्व में अपना परचम फहरा चुकी है जिसका परिणाम यह है की यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी राज्य के विभिन्न भागों में इस संस्कृति का आनंद लेने आते हैं तथा कुछ सैलानी तो इस संस्कृति से प्रभावित होकर यहीं बस जाते हैं तथा अपना सम्पूर्ण जीवन यहाँ बिता देते हैं।

राजस्थानी सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ के किले, ऐतिहासिक ईमारत, झीलें, रेत के टीले, रेगिस्तान, राजस्थानी कला आदि हैं। राजस्थानी संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रसारित करने में यहाँ की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है जिन्होंने राजस्थानी परम्पराओं के निर्वाह करके अनौखी मिसाल निर्मित की है एवं विश्व के लोगों को इन परम्पराओं से जोड़ने का कार्य किया है।

राजस्थान राज्य भारत का एक पिछड़ा राज्य है जिसकी पहचान यहाँ के परंपरागत जीवन, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, लैंगिक असमानता आदि के लिए की जाती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तथा अधिकांश भागों में जिनमें आदिम एवं आधुनिक दोनों प्रकार के समाज सम्मिलित हैं, पुरुष एवं महिला संयुक्त रूप से कृषि कार्य में संलग्न रहकर अपने परिवार के लिए अर्थोपार्जन करते हैं।

राजस्थानी महिला अन्य भारतीय महिलाओं से इस अर्थ में भिन्न है की उसने अनेकों अवसरों पर वीरता का परिचय दिया है तथा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रत्येक चुनौती का बहादुरी से सामना किया है, परन्तु इस सबके बावजूद भी वह हमेशा अपने स्वजनों के लिए उपेक्षित रही है। उसका सम्पूर्ण जीवन घर की चार दीवारी में पति की सेवा करने एवं बच्चों को जन्म देने और उनका लालन पालन करने में निकल जाता है। वह कभी भी अपने लिए नहीं जी पाती।

कन्या भ्रूण, हत्या, कन्या हत्या, बाल विवाह, सतीप्रथा , पर्दा प्रथा आदि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है की राजस्थानी महिला के अधिकारों का हनन किया जाता रहा है। उसके अधिकारों के समुचित संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। वह सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से शोषित है, तथा शिक्षा, रोजगार, विकास आदि कि मुख्य धारा से जोड़ने के महिला सशक्तिकरण द्वारा उसको आगे लाना सरकार का ही नहीं, अपितु समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है।

संवैधानिक समानता के अधिकार के बावजूद वह लैंगिक असमानता की शिकार रहती है जहाँ वह अपने पिता एवं पति के घर शापित जीवन व्यतीत करती है। या तो उसको जन्म से पहले या जन्म लेने के बाद केवल इसलिए मार दिया जाता है कि वह परिवार के लिए कहीं गरीबी या बदनामी का कारण न बन जाये और कहीं दहेज के लिए धन न होने पर वह आजीवन कुंवारी न रह जाये।

आधुनिक राजस्थानी महिला शिक्षा से जुड़ने के कारण अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वह अपने अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है। अपने मानवीय एवं संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तैयार है और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए सदियों पुरानी परम्पराओं को भी तोड़ने के लिए तैयार है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में पदावली– विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण का प्रयोग किया गयाय अनुच्छेद 15 (3) में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 15 में वर्णित प्रावधानों से प्रभावित रहते हुए राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा जो कि उनके लाभ के लिए होगा।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराएं 125 और धारा 128 पत्नी स्त्रियों को पुरुष से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देते हैंय धारा 354 का लक्ष्य स्त्री के अस्तित्व की रक्षा करना है तथा उसके आत्मसम्मान और उसकी अस्मिता की रक्षा करना हैय आईएपीसी धारा 376, बलात्कार की घटनाओं पर नियंत्रण लगाता है जबकि धारा 377 स्त्रियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन जैसे मुख–मैथुन एवं गुदा मैथुन को अप्राकृतिक मैथुन को रोकने का प्रयास करती हैय 304 बी दहेज हत्या के मामलों पर नियंत्रण करने में प्रभावी हैय 498 ए महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता को नियंत्रित करने में सहायक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा पर नियंत्रण करने में प्रभावी है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 अनावश्यक गर्भ समाप्त करने की अनुमति नहीं देताय भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 भ्रूण लिंग चयन के निषेध में सहायक है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 महिलाओं के वैश्यावृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाता है। संवैधानिक प्रावधान एवं अधिकांश भारतीय कानूनी अधिनयम राजस्थानी महिला के अधिकारों के संरक्षण को सैद्धांतिक रूप से सुनिश्चित करते हैं, परन्तु इस सबके बावजूद अपने अधिकार संरक्षण से कोसों दूर है।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया और बेटी को पुत्र के समान ही संपत्ति के अधिकार दिए गए, और बेटों और बेटियों के बीच कोई अंतर नहीं रखा गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में इस क्रांतिकारी संशोधन के बाद, बेटी सभी संपत्ति अधिकारों के साथ कोपर्सनारी है। द हिंदू सक्सेशन (अमेंडमेंट) एक्ट 2005 बेटी को इच्छानुसार संपत्ति को निपटाने करने की अनुमति देता है। द हिंदू सक्सेशन (अमेंडमेंट) एक्ट 2005 एक बेटी के अधिकार को एक कोपर्सनारी के रूप में पहचानता है। राजस्थानी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण करने में महिला आयोग (राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग) विशेष रुप से सहायक होसकता है। महिला आयोग का यह नैतिक दायित्व है की जिन महिलाओं के कानूनी या मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको तत्काल रोके और राजस्थान की प्रत्येक महिला को उसके अधिकारों को दिलवाने में उसकी मदद करे। राजस्थान की महिलाओं को भी चाहिए की अपने साथ हो रहे उत्पीड़न अथवा अधिकार हनन की सूचना सम्बंधित कार्यालय या पुलिस थाने या कोतवाली में अवश्य करवाएं।

साहित्यरावलोकन

1. मैत्रेयी बोरडिआ दास (1992), अपने किये गए अध्ययन The women's development program in Rajasthan: A case study in group formation for women's development, में महिला विकास कार्यक्रमों के ग्रामीण राजस्थानी महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करती हैं । लेखिका महिला विकास कार्यक्रमों को ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु आवश्यक मानते हुए यह सुझाव प्रस्तुत करती हैं कि महिला विकास कार्यक्रमों को राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अधिक से अधिक अपनाया जाना चाहिए।

2. नरेन्द्र गुप्ता, प्रीतम पाल, मधु भार्गव एवं महेश डागा (1992), अपने अध्ययन Health of women and children in Rajasthan, के अंतर्गत इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि राजस्थान की महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं सामान्य हैं, परन्तु प्रायः देखा जाता है कि उच्च जाति की महिलाओं का स्वास्थ्य निम्न जाति की महिलाओं के स्वास्थ्य की तुलना में अधिक अच्छा होता है। अध्ययन का यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाज में प्रचलित लिंग–भेद महिलाओं को अच्छे स्वास्थय से वंचित करता है।

3. माइकल एस. बिल्लिग (2011), का अध्ययन The Marriage Squeeze on High & Caste Rajasthani

Women, राजस्थान के असमान लिंग अनुपात पर विस्तार से प्रकाश डालता है, तथा अवगत करवाता है कि असमान लिंगानुपात जिसके अंतर्गत पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, आने वाले समय में राजस्थान में विवाह व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अध्ययनकर्ता इस बात की भी सम्भावना प्रकट करता है की होसकता है कि लड़कियों की कम संख्या होने के कारण विवाह में उनको लाभ प्राप्त हो सकता है और उनकी स्थिति में सुधार भी होसकता है।

4. सोनिया सूरी (2011), अपने महत्वपूर्ण अध्ययu Women: work and health in rural Rajasthan, India में ग्रामीण राजस्थान की महिलाओं के पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए उल्लेख करती हैं कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाएं काम अधिक करती हैं तथा संयमित भोजन के अभाव में स्वयं कुपोषण का शिकार होती हैं जिसके परिणाम स्वरुप उनका स्वस्थ्य प्रायः खराब रहता है। उनके खराब स्वस्थ्य का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है जिनका लालन पालन ठीक से नहीं हो पाता।

5. इंदिरा शर्मा (2015), अपने अध्ययन Violence against women: Where are the solutions के अंतर्गत इस प्रश्न को रखती हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समाधान कहाँ हैं। लेखिका इस बात से आहत है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बाद भी भारतीय महिला अनेकों प्रकार की हिंसा का सामना करती है तथा चुप रहकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहन करती रहती है। साथ ही वह यह मत रखती हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं रोका जा सकता, अपितु इनको तभी काम किया जा सकता है और रोका जा सकता है जब समाज का पुरुषवर्ग महिलाओं के बारे में अपनी सोच परिवर्तित करे और महिलाओं को अपने समकक्ष मानकर उनको उनके समस्त अधिकार प्रदान करे।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय महिला के व्यक्तित्व के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का अध्ययन करना ।
2. भारतीय महिला के विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले योगदान पर प्रकाश डालना।
3. राजस्थानी महिला का समग्र चित्र प्रस्तुत करना ।
4. राजस्थान की महिलाओं के परंपरागत जीवन पर प्रकाश डालना ।
5. आधुनिक राजस्थानी महिलाओं के परिवर्तित दृष्टिकोण पर प्रकाश डालना ।
6. राजस्थानी संस्कृति के प्रसार एवं प्रचार में राजस्थानी महिला के योगदान से अवगत कराना ।
7. भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख अधिकारों की व्याख्या एवं समीक्षा करना ।
8. भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त विशेष अधिकारों की व्याख्या करना।
9. व्यावहारिक धरातल पर राजस्थानी महिलाओं के अधिकार संरक्षण की समीक्षा करना ।
10. भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं का उल्लेख करना जो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण में सहायक हैं।
11. भारतीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण में दिए जाने वाले योगदान के बारे में अवगत करवाना।

प्राक्कल्पना

1. भारतीय महिला का सम्पूर्ण जीवन त्यागमय होता है ।
2. वह अपने परिवार एवं बच्चों व सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देती है ।
3. वह शोषित है और लैंगिक असमानता से शापित रहती है ।
4. राजस्थान में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की महिलाओं की स्थिति से बदतर है ।
5. राजस्थानी परम्पराएं व सामाजिक मान्यताएं उसको घर की चारदीवारी में जीवन जीने और अपनी इच्छाओं के दमन के लिए मजबूर करती हैं ।
6. राजस्थान की संस्कृति को सुदृढ़ बनाने एवं उसको विश्व में प्रसारित करने में महिलाओं का विशेष योगदान है ।
7. राजस्थान की महिला अज्ञानता एवं अंधविश्वासों में जकड़ी रहती है ।
8. भारतीय संविधान एवं भारतीय दंड संहिता महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में विशेष भूमिका निभाते हैं ।
9. राजस्थानी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया से जोड़ने तथा उनमें अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना समय की मांग है ।
10. भारतीय महिला आयोग एवं राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने में विशेष योगदान दे रहे हैं।

शोध पद्धति

यह शोधपत्र इंटरनेट की विभिन्न साइटों पर उपलब्ध प्रकाशित अध्ययनों से लिए गए द्वितीयक तथ्यों पर आधारित अध्ययन है जिसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता एवं अधिकारों के संरक्षण में महिला आयोग की विशेष भूमिका ज्ञात करना है ।

अध्ययन की वैज्ञानिकता बनाये रखने के लिए अध्ययनकर्ता द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के समस्त चरणों, यथा, विषय एवं शीर्षक के चुनाव से लेकर निष्कर्ष तक,का अक्षरशः पालन किया गया, तथा निष्पक्ष रूप से अध्ययन करते हुए अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को बनाये रखा गया । चूंकि इंटरनेट पर उपलब्ध शोधपत्र एवं अन्य अध्ययन इस अध्ययन के आधार थे , अतः लेखक ने पूर्ण ध्यान उन अध्ययनों पर ही बनाये रखा तथा उनके सामग्री विश्लेषण के आधार पर ही निष्कर्ष एवं उपसंहार प्रस्तुत किये।

इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य के अलावा भारतीय संविधान एवं भारतीय दंडसंहिता पर लिखी पुस्तकों से भी तर्कसंगत सामग्री ली गयी। महिलाओं का चित्रण स्वयं के अनुभवों के आधार पर किया गया जबकि राजस्थानी महिलाओं का विवरण स्वयं के अवलोकन और पूर्व ज्ञान के आधार पर किया गया।

उपसंहार

राजस्थान में महिलाओं की स्थिति, आधुनिकता एवं शिक्षा के प्रभाव के बावजूद भी दयनीय है जिसमें सुधार करना समय की मांग है । संविधान में वर्णित अधिकार सैद्धांतिक रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण की पुष्टि करते हैं, जबकि वास्तविकता बिलकुल अलग है। आधुनिक राजस्थानी महिला शिक्षा से जुडी है और अधिकारों के प्रति उसमें जागरूकता बढ़ रही है, परन्तु पारिवारिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य आज भी उसको शोषण को सहन करने और अपने अधिकारों को प्राप्त करने से रोकते हैं ।

वह न तो समानता के अधिकार की मांग करती है और न पूर्वजों की संपत्ति में अपने हिस्से की मांग करती है। पिता और पति के घर वह लैंगिक असमानता और शोषण की शिकार होती रहती है और अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों को मूक रहते हुए चुपचाप सहन करती रहती है । महिला आयोग राजस्थान की महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परन्तु यह तभी संभव है सब अधिकारों से वंचित महिला अपनी आवाज उठाये एवं सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया से जोड़ना, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना, और घर से बाहर निकलकर अपनी छुपी हुई योग्यता को विभिन्न क्षेत्रों में सिद्ध करने के लिए अनुमति प्रदान करना आवश्यक है । निश्चित रूप से कट्टरपंथी राजस्थानी समाज को महिलाओं के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अग्रवाल, बी– Hindu Women*s Property Rights in Rural India: Law] Labour and Culture in Action, एशियाई अपराधशास्त्र, 4, 189, 2009*
2. *इंदिरा शर्मा– Violence against women: Where are the solutions?, इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री, 57 (2), 2015*
3. *माइकल एस. बिल्लिग–जीम Marriage Squeeze on High&Caste Rajasthani Women, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011*
4. *मैत्रेयी बोरडिआ दास–The women's development program in Rajasthan : a case study in group formation for women's development, पापुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, दि वर्ल्ड बैंक, डब्लू पी एस 203, 1992*
5. *नरेन्द्र गुप्ता, प्रीतम पाल, मधु भार्गव एवं महेश डागा–Health of women and children in Rajasthan, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, अंक 27, क्रमांक 42, 1992*
6. *प्रदीप पांडा, जयोति गुप्ता, इंडिका बुलंकुलम और नंदिता भाटला– Property Ownership and Inheritance Rights of Women for Social Protection, 2006*
7. *रीना पटेल– Hindu Women's Property Rights in India: A Critical Appraisal, थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, 27, नंबर 7, 2006*
8. *सोनिया सूरी– Women, work and health in rural Rajasthan] India] UCONN पुस्तकालय, 2011*